न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक– 26.10.18

मि.न.– 82 / 2018

सरकार बनाम योगेश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोनेड़ा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम गोनेड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1762 / 0.76, 1762 / 1842 / 0.81 किस्म जमीन बजड़ में से 0.76 पर बाजरा बुआई कर व 0.81 पर कपास बुआई कर योगेश पुत्र उमादत्त जाति गूर्जर निवासी गोनेड़ा तहसील कोटपूतली ने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सुचनापरान्त गैर सायल उपस्थित आया । गैरसायल को बार– बार वास्ते जबाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया तथा नाही कोई ऐसे साक्ष्य , दस्तावेज पेश किये जिनके आधार पर गैरसायल को राहत दी जा सके । अतः पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट सही साबित होती है इसलिये गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः योगेश पुत्र उमादत्त जाति गूर्जर निवासी गोनेड़ा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोनेड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1762 / 0.76, 1762 / 1842 / 0.81 जमीन बजड़ में से अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 3.15 का पचास गुणा 157 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 26.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2018 019 क रा० ले० 4
के पृष्ठ संख्या 78 पर 01.......
157 ... दर्ज किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली